

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
30प्र0 शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,  
होमगार्ड्स, 30प्र0,  
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग

लखनऊ

दिनांक 22 अक्टूबर, 2020

विषय- अवैतनिक अधिकारियों/होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के इयूटी के दौरान वीरतापूर्वक कर्तव्यपालन में घायल होने के फलस्वरूप उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि के पश्चात चिकित्सक द्वारा स्वस्थ घोषित होने की तिथि तक इयूटी पर माने जाने एवं उक्त अवधि के इयूटी भत्ते का भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यमाल अवैतनिक अधिकारियों/होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के इयूटी के दौरान वीरतापूर्वक कर्तव्य पालन में घायल होने के फलस्वरूप उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि के पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा स्वस्थ घोषित होने की तिथि तक या 06 माह की अवधि तक, दोनों में जो भी कम हो, के लिए इयूटी पर माने जाने एवं उक्त अवधि के इयूटी भत्ते का भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, प्रयागराज/लखनऊ/झांसी/आगरा परिक्षेत्र, 30प्र0।
- 3- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, 30प्र0।
- 4- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, 30प्र0
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
अशोक कुमार सिंह  
अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।